इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40/ रुपए
(आईएसओ 9001 : 2015 द्वारा प्रमाणित)

व्यावसायिक
उत्कृष्टता के
प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड संख्या: 12 अंक संख्या: 10 मई, 2020 पृष्ठों की संख्या 18

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ----------2
बैंकिंग से संबंधित नीतियाँ ---------- 7
बैंकिंग जगत की घटनाएँ----------8
विदेशी मुद्रा ----------10
शब्दावली----------11
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ---------- 11
संस्थान समाचार ----------12
नयी पहलकदमी ----------15
बाजार की खबरें ----------16

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों/ मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/ किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों के अर्थोपाय अग्रिमों की सीमाएं बढाई, निर्यात नियमों को शिथिल किया

भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए अर्थोपाय अग्रिमों (WMAs) की सीमाएं 30 सितंबर, 2020 तक बढ़ा कर 60% कर दी हैं। केंद्र के लिए अर्थोपाय अग्रिम पिछले वर्ष की पहली छमाही के 75,000 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष की पहली छमाही के लिए बढ़ाकर 12 ट्रिलियन कर दिया गया है।

इस वृद्धि से राज्यों को बांड बाजारों पर कम निर्भर रहने में सहायता प्राप्र होगी। समतुल्य परिपक्वता वाले सरकारी एवं राज्यों के बाँड़ों के बीच कीमत लागत अंतर (spread) सामान्यत: 40-60 आधार अंकों की तुलना में बढ़कर 120 आधार अंकों से अधिक हो गया है। इसप्रकार इस मुहिम से चलनिधि संकट तथा उसके साथ ही प्राथमिक बाजार मेँ नीलामियों के माध्यम से निधियाँ जुटाने हेतु आपाधापी करने में कमी आने की आशा की जाती है जिससे आगे चलकर राज्यों के लिए बाजार से उधार लेने की लागतों मेँ कमी आएगी।

इसके अतिरिक्त एक बात यह है कि कोरोना वाइरस जैसी वैश्विक महामारी के परिणामस्वरूप आर्थिक कठियाइयों से निपटने मेँ निर्यातकों की सहायता करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने उन्हें उनके द्वारा किए गए निर्यात से प्राप्त होने वाली राशियों को वसूल करने और उन्हें प्रत्यावर्तित करने हेतु (सामान्यतया 9 माह की तुलना में)

15 माह का समय लगाने की अनुमति दे दी है। उक्त छूट निर्यातकों के लिए विपणन साधन के रूप में भी कम आती है। मांग के अभाव में ग्राहक ऋण (उधारी सुविधा) की मांग करते हैं जो निर्यातक अब प्राप्त होने वाली राशियों को बाद में वसूल करने के उद्देश्य से दे सकते हैं। इससे भारतीय निर्यातकों को विदेशी बाज़ारों में अपनी उपस्थिति विस्तारित करने में सहायता प्राप्त होती है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा के मानदंड सरल किए

भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना वाइरस के प्रकोप के दौरान राज्य सरकारों के समक्ष उपस्थित होने वाले नकदी प्रवाह असंतुलनों से निपटने में सहायता करने के लिए उनके लिए 30 सितंबर, 2020 तक की अपेक्षाकृत लंबी अवधि हेतु ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त करने हेतु मानदंडों को शिथिल कर दिया है। इस उद्देश्य के लिए अधिक लचीलापन प्रदान करने हेतु कोई राज्य /संघ शासित क्षेत्र लगातार जितने दिनों तक ओवरड्राफ्ट सुविधा का उपयोग कर सकता है उसकी संख्या 14 कार्य-दिवसों की वर्तमान समय-सीमा के स्थान पर बढ़ाकर 21 कार्य-दिवस कर दी गई है। इसीप्रकार, किसी तिमाही में कोई राज्य/संघ शासित क्षेत्र जितने दिनों तक ओवरड्राफ्ट सुविधा का उपयोग कर सकता है उसकी संख्या वर्तमान 36 कार्य-दिवसों से बढ़ाकर 50 कार्य-दिवस कर दी गई है। अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित हैं। यह व्यवस्था 30 सितंबर, 2020 तक वैध रहेगी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने असमाहित मामलों के लिए सीमित प्रावधानीकरण राहत प्रदान की

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने 7 जून, 2019 वाले परिपत्र के अधीन बैंकों को असमाहित (unresolved) मामलों के लिए 20% का एक अतिरिक्त प्रावधान करने से मुक्त कर दिया है। यह राहत केवल उन मामलों के लिए है जिनमें अंतर-लेनदार करार (ICA) हस्ताक्षरित होने के बाद 1 मार्च, 2020 के दिन 210 दिनों की समय-सीमा समाप्त न हो गई हो। जिनमें पुनरीक्षण अवधि (30 दिनों की) समाप्त हो गई हो, किन्तु 180 दिवसीय समाधान अवधि 1 मार्च, 2020 के दिन समाप्त न हुई हो, ऐसे खातों के मामले में 180 दिनों की समाधान अवधि की समाप्ति मूल रूप से निर्धारित की गई

थी, उस तिथि से समाधान की समय-सीमा बढ़ जाएगी। अतिरिक्त प्रावधान किए जाने की आवश्यकता तभी लागू की जाएगी जब विस्तारित समाधान अवधि समाप्त हो।

बैंकों को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए लाभांशों को रोक रखना है : भारतीय रिजर्व बैंक

कोविड-19 वैश्विक महामारी द्वारा पैदा की गई अत्यधिक अनिश्चितता की पृष्ठभूमि में पूंजी संरक्षण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए लाभांश रोक रखने के निदेश दिये थे। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुये वित्त वर्ष से संबन्धित लाभों में से अगले अनुदेश प्राप्त होने तक किसी प्रकार के और भुगतान नहीं करेंगे। इस प्रतिबंध की 30 सितंबर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए बैंकों की वित्तीय स्थिति के आधार पर समीक्षा की जाएगी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अनर्जक आस्ति राहत मंजूर की, किन्तु 10% के एक अतिरिक्त प्रावधान के साथ

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को 1 मार्च, 2020 से तीन माह की अधिस्थगन अवधि के दौरान अनर्जक आस्तियों की पहचान करने से राहत प्रदान कर दी है। अतएव, अशोध्य ऋण वर्गीकरण अवधि प्रभावी तौर पर बदल कर 180 दिन हो जाएगी । यह राहत प्रदान करते हुये भारतीय रिजर्व बैंक ने तुलनपत्रों में जोखिम जमावड़े को ध्यान में रखते हुये बैंकों से 10% के अतिरिक्त प्रावधान की व्यवस्था दो तिमाहियों की विस्तारित अवधि में करने हेतु कह कर सतर्कता बरती है। इन प्रावधानों को आगे चलकर वास्तविक गिरावटों के लिए प्रावधानिकरण आवश्यकताओं के समक्ष समायोजित किया जा सकेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को 50,000 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करेगा

भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), भारतीय

लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) और राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) जैसी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को 50,000 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त सुविधाओं की घोषणा की है। यह उपाय सेक्टर-वार ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु किया गया है,,क्योंकि इन संस्थाओं को बाजार से ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है।

इस 50,000 करोड़ रुपये की रकम में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs), सहकारी बैंकों और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (MFIs) का पुनरवित्तीयन करने हेतु नाबार्ड को 25,000 करोड़ रुपये; पुन: उधार देने/ पुनरवित्तीयन करने हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को 15,000 करोड़ रुपये, आवास वित्त कंपनियों (HFCs) की मदद करने हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक को 10,000 रुपए शामिल हैं। इस सुविधा के तहत अग्रिमों पर उक्त रक़में प्राप्त किए जाने के समय नीतिगत पुनर्खरीद (repo) दर प्रभारित की जाएगी।

अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं संसाधन उनके आंतरिक स्रोतों के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत विशिष्ट लिखतों के जरिये बाजार के माध्यम से जुटाती हैं। उक्त उपाय से कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र, लघु उद्योगों, आवास वित्त कंपनियों, गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को उनकी दीर्घकालिक निधि आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता प्राप्त होने की आशा है।

बैंकों को अधिक उधार देने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए प्रति पुनर्खरीद दर में कटौती

अधिशेष निधियों को अभिनियोजित करने हेतु बैंकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रति-पुनर्खरीद (reverse repo) दर में 25 आधार अंकों की कटौती की है, इसप्रकार उसे 3.75% पर स्थिर कर दिया है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का चलनिधि व्याप्ति अनुपात (LCR) वर्तमान 100 % से घटा कर 80% कर दिया गया है। चलनिधि व्याप्ति अनुपात आवश्यकता को क्रमिक रूप से दो चरणों में पूर्ववर्ती स्तर पर वापस लाया जाएगा। इसे 1 अक्तूबर, 2020 तक 90% कर दिया जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने लक्ष्यांकित पुनर्खरीद परिचालनों 2.0 के तहत अभिनियोजन की समय-सीमा विस्तारित की

बैंकों से प्राप्त प्रति-सूचना और कोविड़-19 द्वारा उत्पन्न रुकावटों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने लक्ष्यांकित दीर्घकालिक पुनर्खरीद परिचालनों 2.0 (TLTRO 2.0) के तहत आहरित रकम को अभिनियोजित किए जाने की समय-सीमा पूर्ववर्ती 30 दिनों से बढ़ा कर 45 दिन कर दी है।

इस विस्तारित समय-सीमा के भीतर जो निधियाँ अभिनियोजित नहीं की गई हैं, उन पर वे जितने दिनों के लिए अनभिनियोजित पड़ी हों उनके लिए प्रचलित दर जोड़िए (+) 200 आधार अंक की दर से ब्याज प्रभारित किया जाएगा। परिपक्वता के समय वृद्धिशील ब्याजगत देयता का नियमित ब्याज के साथ भुगतान किया जाना होगा।

लक्ष्यांकित दीर्घकालिक पुनर्खरीद परिचालनों 2.0 (TLTRO 2.0) के अधीन बैंकों द्वारा प्राप्त की गई निधियों का निवेश निवेश श्रेणी वाले बाँड़ों, वाणिज्यिक पत्रों (CPs) तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अपरिवर्तनीय डिबेंचरों में किया जाना चाहिए। ली गई कुल रकम का कम से कम 50% लघु एवं मझोले आकार वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को दिया जाना चाहिए। उक्त रकम के लगभग 10% का निवेश सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा जारी प्रतिभूतियों एवं लिखतों में किया जाना चाहिए। दूसरे 15% का निवेश 500 करोड़ रुपये या उससे कम के आस्ति आकार वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूतियों और लिखतों में तथा 25% का निवेश 500 करोड़ रुपये एवं 5,000 करोड़ रुपये के बैक के आस्ति आकार वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूतियों और लिखतों में किया जाना चाहिए।

फसल ऋणों पर प्रोत्साहन देना जारी रखें : बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से किसानों को ऐसे अल्पावधिक फसल ऋणों पर ब्याजगत सहायता/अनुदान (subvention) तथा त्वरित चुकौती प्रोत्साहन देना जारी रखने के लिए कहा है जिनमें 1 मार्च और 31 मई, 2020 के बीच की अवधि में किस्त देय हो। सरकार प्रति किसान 3 लाख रुपये तक के अल्पावधिक फसल ऋणों के लिए 31 मई, 2020 तक की विस्तारित चुकौती अवधि अथवा चुकौती की तिथि, इनमें से जो भी पहले हो, तक 2% की ब्याजगत सहायता/अनुदान और 3% का त्वरित चुकौती प्रोत्साहन की सुविधा जारी रखेगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसानों को दंडस्वरूप

ब्याज का भुगतान न करना पड़े और तब भी ब्याजगत सहायता / अनुदान योजना का लाभ उठाते रहें।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 21 के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को सीमित किया

भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021 के लिए सरकारी प्रतिभूतियों (G-secs) में सामान्य श्रेणी वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की निवेश सीमा को पूर्ववर्ती 2.46 लाख करोड़ रुपये से घटाकर 2.34 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। दीर्घावधि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमायेँ भी 1.15 लाख करोड़ रुपये से घटाकर 1.03 लाख करोड़ रुपये कर दी गई है। इस बीच राज्य विकास ऋणों (SDLs) में सामान्य श्रेणी वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की सीमा में 3,215 करोड़ रुपये की वृद्धि करते हुये उसे वित्त वर्ष 21 की पहली छमाही के लिए 67, 630 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के निवेश की सीमाएं वित्त वर्ष 20-21 के लिए इन प्रतिभूतियों के बकाया स्टाक की क्रमश: 6% और 2% के रूप में अपरिवर्तित रखी गई हैं।

धन-शोधन निर्धारण जारी रखें : बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से समय-समय पर धन-शोधन एवं आतंकवादियों के वित्तीयन से सम्बद्ध जोखिम निर्धारण का कार्य करते रहने के लिए कहा है। ग्राहकों, देशों अथवा भौगोलिक क्षेत्रों, उत्पादों, सेवाओं और लेनदेनों या सुपुर्दगी चैनलों के मामले में धन-शोधन एवं आतंकवादियों के वित्तीयन से जुड़े जोखिमों को न्यूनीकृत करने हेतु उनकी पहचान करने, उनका निर्धारण करने तथा प्रभावी उपाय करने के लिए अपने ग्राहक को जानिए (KYC) से संबन्धित मास्टर निदेश में एक खंड करते समय विनियमित संस्थाओं अथवा REs से यह अपेक्षित है कि वे उन समग्र क्षेत्र

विशिष्ट (sector specific) सुभेद्यताओं को ध्यान में रखें जिनकी विनियामक /पर्यवेक्षक उन्हें समय-समय पर जानकारी दे सकता है। इसके अतिरिक्त विनियामक संस्था द्वारा किया जाने वाला आंतरिक जोखिम निर्धारण उसके आकार, भौगोलिक मौजूदगी तथा कार्यकलापों/ढांचे की जटिलता के अनुरूप होना चाहिए।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रतिरक्षण/बचाव व्यवस्था पर जारी किए अंतिम निदेश

घरेलू विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी (derrivativs) बाजारों तक पहुँच को आसान बनाने के एक अभियान में भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा जोखिम को प्रतिरक्षित /का बचाव करने के संबंध में अंतिम निदेश जारी कर दिये हैं। इन निदेशों में निवासियों एवं अनिवासियों के लिए किसी एकल एकीकृत सुविधा में विलयन सुविधाओं और प्रयोक्ताओं को किसी उपलब्ध लिखत के जरिये उसे प्रतिरक्षित करने के लिए वैध एक्सपोजर के साथ अनुमति दिये जाने का समावेश है। अन्य निदेशों में प्रत्याशित एक्सपोजर को प्रतिरक्षित करने की सुविधा प्रारम्भ किए जाने तथा प्राधिकृत व्यापारियों को विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नियाँ प्रदान करने की कार्यविधियों को आसान बनाने का समावेश है। ये निदेश, जो 1 जून से प्रभावी होंगे, जनता से प्राप्त अभ्युक्तियों तथा अपतटीय (offshore) रुपया बाज़ारों पर कार्य बल (Task force की सिफ़ारिशों पर आधारित हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को वाणिज्यिक स्थावर सम्पदा के संबंध में पुनर्व्यवस्था (recast) सुविधा प्रदान की

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकेतर ऋणदाताओं को कुछेक वाणिज्यिक स्थावर संपदा ऋणों को पुनरसंरचित करने की सुविधा प्रदान की है। इसके परिणामस्वरूप गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अब स्थावर संपदा परियोजनाओं को दिये गए ऐसे ऋणों को एक और वर्ष के लिए अशोध्य ऋण के रूप में वर्गीकृत किए बिना पुनरसंचित करने में समर्थ होंगी जिनमें वाणिज्यिक परिचालन प्रारम्भ (DCCO) होने की तिथि परावर्तकों के नियंत्रण से

परे कारणों से विलंबित हो गई है।

बैंक ओवरड्राफ्ट खाता वाले ग्राहकों को इलेक्ट्रानिक कार्ड जारी कर सकते हैं

भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को केवल वैयक्तिक ऋणों के स्वरूप मेँ ओवरड्राफ्ट खाते रखने वाले ग्राहकों को इलेक्ट्रानिक कार्ड जारी करने की अनुमति प्रदान कर दी है। ये कार्ड किसी विशिष्ट अंतिम उपयोग प्रतिबंध के बिना जारी किए जा सकते हैं तथा वे केवल घरेलू लेनदेनों के लिए प्रयोज्य होंगे। ये कार्ड उक्त सुविधा की वैधता से अनधिक अवधि के लिए जारी किए जा सकते हैं।

इसके अलावा, बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन कार्डों का उपयोग केवल आनलाइन/नकदीतर लेनदेनों को सुगम बनाने के लिए किया जाए यथोचित जांच-पड़ताल को कार्यान्वित करना होगा। नकदी लेनदेनों पर प्रतिबंध प्रधान मंत्री जन-धन योजना (PMJDY) खातों पर लागू/प्रयोज्य नहीं होगी।

इस उत्पाद की शुरूआत करने से पहले बैंकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे ओवरड्राफ्ट खाता रखने वाले ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रानिक कार्ड जारी किए जाने के संबंध मेँ बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक ऐसी नीति तैयार करें जिसमें उपयुक्त जोखिम प्रबंधन, आवधिक पुनरीक्षण कार्यविधि, परिवाद निवारण व्यवस्था आदि का समावेश हो। ये कार्य पर्यवेक्षी पुनरीक्षण के अधीन होंगे। ये कार्ड डेबिट कार्ड के संबंध में लागू होने वाली शर्तों एवं निबंधनों, सुरक्षा, परिवाद निवारण, ग्राहक सूचना की गोपनीयता तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्डों के परिचालन के संबंध मेँ जारी अन्य सभी सुसंगत अनुदेशों के अधीन जारी किए जाएंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक ने पार्स्परिक निधियों की सहायता करने हेतु 50,000 करोड़ रुपए की विशेष चलनिधि सुविधा प्रारम्भ की

भारतीय रिजर्व बैंक ने पारस्परिक निधि उद्योग को ऋण व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु उनके लिए 27 अप्रैल, 2020 से 50,000 करोड़ रुपए की एक विशेष चलनिधि सुविधा

(window) प्रारम्भ की है, उक्त सुविधा पारस्परिक निधियों को दो मार्गों के माध्यम से चलनिधि तक पहुँचने में समर्थ बनाती है। बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से सांविधिक चलनिधि सुविधा (SLF) के तहत निधियाँ उधार ले सकते हैं और पारस्परिक निधियों को उनकी सांपार्श्विक ऋण प्रतिभूति के समक्ष उधार दे सकते हैं। इसके अलावा वे पारस्परिक निधियों से वाणिज्यिक पत्र अथवा कारपोरेट डिबेंचर खरीद सकते हैं। इस निवेश को कुल अनुमत निवेश से 25% अधिक के स्तर पर भी परिपक्वता तक धारित (HTM) श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है तथा उसे समायोजित खाद्येतर बैंक ऋण की गणना से अलग रखा जाएगा और उसे बैंक की पूंजी एक्सपोजर सीमाओं से छूट प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त, इस सुविधा के अधीन एक्सपोजरों को बड़े एक्सपोजर ढांचे के तहत परिकलित नहीं किया जाएगा।

इसके भी अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि इस बात पर ध्यान दिये बिना कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई पारस्परिक निधि सुविधा का उपयोग करते हैं या नहीं, पारस्परिक निधियों की चलनिधि आवश्यकता को पूरा करने वाले सभी बैंकों को यथोचित विनियामक लाभ प्राप्त होंगे।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	27 मार्च, 2020 के दिन बिलियन रुपए	27 मार्च, 2020 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
कुल प्रारक्षित निधियाँ	3557630	475561
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	3289068	439663
(ख) सोना	231084	30890
(ग) विशेष आहरण अधिकार	10642	1,423
(घ) अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	26836	3586

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

मार्च, 2020 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.66900	0.49690	0.34000	0.36900	0.41100
जीबीपी	0.43610	0.5084	0.4369	0.4461	0.4607
यूरो	-0.31000	-0.314	-0.298	-0.284	**-0.265**
जापानी येन	-0.0100	-0.025	-0.053	-0.054	0.053
कनाडाई डालर	1.23000	0.749	0.674	0.746	0.796
आस्ट्रेलियाई डालर	0.34250	0.363	0.304	0.427	0.522
स्विस फ्रैंक	-0.59250	-0.622	-0.640	-0.605	-0.560
डैनिश क्रोन	-0.03650	-0.0320	-0.1019	-0.0826	0.0541
न्यूजीलैंड डालर	0.52800	0.545	0.270	0.328	0.400
स्वीडिश क्रोन	0.18750	0.160	0.114	0.150	0.160
सिंगापुर डालर	0.57500	0.730	0.535	**0.630**	0.710
हांगकांग डालर	1.21000	1.040	0.850	0.870	0.910
म्यामार	2.45000	2.400	2.280	2.330	2.390

स्रोत : www.fedai.org.in

शब्दावली

अर्थोपाय अग्रिम (WMA)

अर्थोपाय अग्रिम एक ऐसी अस्थायी चलनिधि व्यवस्था है जो केंद्र और राज्यों को अपने चलनिधि असंतुलनों की व्यवस्थित करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से 90 दिनों तक के लिए धन उधार लेने मेन समर्थ बनती है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत निर्देशित किया गया है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

ब्याज व्याप्ति अनुपात (ICR)

ब्याज व्याप्ति अनुपात किसी कंपनी की उसके बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने

के सामर्थ्य को मापता है। इस मॅप का उपयोग लेंडरों, ऋणदाताओं और निवेशकों द्वारा किसी कंपनी को निधियाँ उधार देने से जुड़े जोखिम का निर्धारण करने हेतु किया जाता है। उच्च अनुपात से यह संकेत प्राप्त होता है कि कोई कंपनी अपने ब्याजगत खर्च का कतिपय बार कर सकती है, जबकि न्यून/कमतर अनुपात इस बात का सुदृढ़ संकेतक है कि कंपनी अपने ऋण के भुगतान में चूक कर सकती है। इस अनुपात का सूत्र निम्नानुसार है :

ब्याजगत खर्च द्वारा विभाजित ब्याज एवं कर पूर्व अर्जन

संस्थान समाचार

लाकडाउन अवधि के दौरान संस्थान द्वारा विशेष पहलकदमी

लाकडाउन को देखते हुये संस्थान 17 मई, 2020 तक भौतिक रूप से बंद है। तथापि, इसके कर्मचारियों ने घर कम करना जारी रखा है तथा यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि महत्वपूर्ण गतिविधियां कार्यरत रहें। संस्थान ने अपनी व्यवसाय निरंतरता योजना (BCP) लागू कर रखी है। लगभग 10,000 प्रमाणपत्र डिजिटल विधि से हस्ताक्षरित किए और भेजे गए हैं, उसके सभी प्रकाशन आदि डिजिटल विधि से जारी किए जा रहे हैं।

संस्थान ने बैंकिंग एवं वित्त व्यावसायिकों के लिए कुछेक विशेष आनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रम चलाने की भी पहल की है। निम्नलिखित सुविधाएं तीन माह के लिए लागत-रहित उपलब्ध कराई गई है:

जेएआईआईबी (3 विषयों), सीएआईआईबी (2 विषयों), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा कारबार संपर्कियों के लिए वीडियो व्याख्यान

जेएआईआईबी (3 विषयों), सीएआईआईबी (2 विषयों) और ऋण प्रबंधन के लिए ई-शिक्षण

जहां वीडियो व्याख्यान सभी के लिए संस्थान के यू ट्यूब पृष्ठ पर पहले से ही उपलब्ध हैं, वहीं ई-शिक्षण की सुविधा उन्हीं लोगों को 3 माह के लिए उपलब्ध होगी जो पंजीकृत हैं।

संस्थान ने कुछेक प्रकार के जोखिमों और बासेल ई दिशानिर्देशों, मूल व्यूटपननी उत्पादों, डिजिटल पौद्योगिकियों में नयी घटनाओं और भुगतान प्रणालियों तथा सूक्ष्म, लघु और मद्यम उद्यम वित्तीयन जैसे समसामयिक विषयों पर कुछेक आनलाइन सत्रों का आयोजन किया है।

संस्थान को उसके द्वारा की गई उपरयुक्त विशेष पहलकदमियों में काफी अच्छी संख्या में पंजीकरण एवं सहभागिता परिलक्षित हुई है। अधिक विवरण के लिए कृपया www.iibf.org.in देखें।

बैंक क्वेस्ट विश्वविद्याल अनुदान आयोग की जर्नलों की केयर सूची में शामिल

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के तिमाही जर्नल बैंक क्वेस्ट को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के समूह बी वाले जर्नलों की केयर सूची में शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सावित्री फुले पुणे विश्वविद्यालय
(SPPU) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – शैक्षिक एवं शोध नीति-शास्त्र संकाय (UGC- Consortium for academic and Research Ethics) सृजित करने हेतु प्रकाशन नीति-शास्त्र केंद्र (CPE), में जर्नलों के वि0श्लेषण के लिए एक कक्ष की स्थापना की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूचना के अनुसार सभी शैक्षिक प्रयोजनों के लिए केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की केयर सूची में समाविष्ट जर्नलों के शोध प्रकाशनों का ही उपयोग किया जाना चाहिए।

आत्म-समगामी ई-शिक्षण (SPeL) पाठ्यक्रम

संस्थान को अपने दो प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों-यथा डिजिटल बैंकिंग और बैंकिंग में नैतिकता के लिए आत्म-समगामी (self-paced) ई-शिक्षण पाठ्यक्रमों की घोषणा करते हुये प्रसन्नता होती है। इस आत्म-समगामी ई-शिक्षण का उद्देश्य बैंकिंग एवं वित्त क्षेत्रों में नियोजित

व्यावसायिकों को एक अधिक सहायक प्रशिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना है। आत्म-समगामी ई-शिक्षण विधि में अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु पंजीकरण कराने, स्वयम अपनी गति से सीखने और अंत में स्वयम अपने स्थान से परीक्षा में शामिल होने की सुविधा प्राप्त होगी। उक्त दोनों पाठ्यक्रमों के लिए आनलाइन पंजीकरण 9 अप्रैल, 2019 से प्रारम्भ हो गए हैं। अधिक विवरण के लिए कृपया लिंक http://www.iibf.org.in/documents/SPeLnotice.pdf देखें।

कारबार संपर्कियों का अनिवार्य प्रमाणन

भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और भुगतान बैंकों दोनों के कारबार संपर्कियों के प्रमाणन के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स को एकमात्र प्रमाणन एजेंसी के रूप में अभिज्ञात किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से उक्त परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम संशोधित कर दिया गया है। संस्थान ने कारबार संपर्कियों के प्रमाणन के लिए सीएसआर -ई- अभिशासन (CSR-e- Governance) के साथ गठजोड़ भी कर रखा है।

बैंकों में क्षमता निर्माण

संस्थान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभिज्ञात परिचालन के चार मुख्य क्षेत्रों, यथा खजाना प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, लेखांकन और ऋण प्रबंधन में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। ये पाठ्यक्रम आनलाइन परीक्षा के साथ प्रकृति की दृष्टि से मिश्रित हैं जिसके बाद उनमें ऐसे अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिन्होंने आनलाइन परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ को संबोधित तथा प्रति इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैंस को पृष्ठांकित दिनांक 31 मई, 2017 के अपने पत्र के तहत यह कहा है कि भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ के सहयोग से इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला विदेशी मुद्रा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम ऐसे सभी बैंक कर्मचारियों, जो खजाना परिचालन सहित विदेशी मुद्रा परिचालन के क्षेत्र में कार्यरत है या कार्य करने के इच्छुक हैं, के लिए एक अनिवार्य प्रमाणन होगा। कृपया परीक्षा हेतु पंजीकरण और अधिक विवरण के लिए वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा में समाधान

संस्थान ने प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा वाली विधि के माध्यम से प्रशिक्षण संचालित करने हेतु एक साफ्टवेयर अभिगृहीत किया है। यह साफ्टवेयर गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी लाये बिना संस्थान को प्रशिक्षार्थियों की काफी बड़ी संख्या तक प्रशिक्षण सामग्री प्रसारित करने में समर्थ बनाएगा। वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रशिक्षण भी आरंभ कर दिया गया है। अधिक विवरण के लिए हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

परीक्षाओं के लिए छद्म जांच सुविधा

संस्थान अपने मुख्य पाठ्यक्रमों यथा जेएआईआईबी और सीएआईआईबी के अलावा अपने तीन विशिष्टीकृत पाठ्यक्रमों यथा प्रमाणित खजाना व्यावसायिक, प्रमाणित ऋण व्यावसायिक और वित्तीय सेवाओं में जोखिम के लिए छद्म जांच सुविधा प्रदान करता है। उक्त छद्म जांच में कोई भी बैंक कर्मचारी शामिल हो सकता है।

आगामी अंकों के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तुयें

हमारे तिमाही जर्नल "बैंक क्वेस्ट" के आगामी अंकों के लिए विषय-वस्तुयें हैं :

- अप्रैल-जून, 2020 - स्ट्रैटेजिक टेकनालोजी ट्रेंड्स इन बैंकस - सब थीम्स : ट्रेडीशनल लैंडिंग टू डिजिटल फलो बेस्ड लैंडिंग , फिंटेक लैंडस्केप इन इंडिया, साइबर सिक्योरिटी, बिग डाटा एनालिटिक्स, कस्टमर एक्सपीरिएन्स अप्रैल - जून, 2020

- जुलाई-सितंबर, 2020 - नान बैंकिंग फाइनैन्सियल कंपनीज़, सिस्टेमिक रिस्क ऐंड इंटरकनेक्टेडनेस अमंग फाइनैन्सियल इन्स्टीट्यूशन्स

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक

रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या : 69228/1998 के अधीन पंजीकृत

बाजार की खबरें

भारित औसत मांग दरें

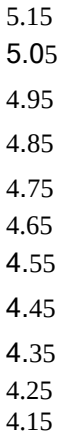

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूजलेटर अप्रैल, 2020

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

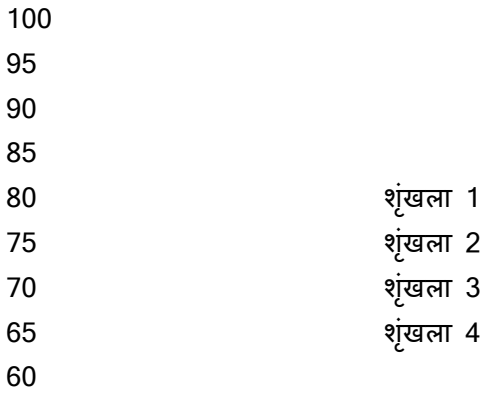

स्रोत : एफबीआईएल

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

8.9
8.4
7.9
7.4
6.9
6.4
5.9

अक्तूबर, 2019, नवंबर, 2019, डसमबर, 2019, जनवरी, 2020, फरवरी, 2020, मार्च, 2020
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकोनामी, भारतीय समाशोधन निगम अप्रैल, 2020

बंबई शेयर बाजार सूचकांक

47000.00
2000.00
37000.00
32000.00
27000.00

नवंबर, 2019, दिसंबर, 2019, जनवरी, 2020, फरवरी, 2020, मार्च, 2020, अप्रैल, 2020
स्रोत : बंबई शेयर बाजार (BSE)

समग्र जमा वृद्धि %

13
11
9
7
अक्तूबर, 2019, नवंबर, 2019, दिसंबर, 2019, जनवरी, 2020, फरवरी, 2020, मार्च, 2020
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकोनामी, भारतीय समाशोधन निगम अप्रैल, 2020

डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र द्वारा मुद्रित, डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम),,मुंबई – 400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल,
किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), ,मुंबई – 400 070
टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : admin@iibf.org.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विजन मई, 2020

: